रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 502] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 22, 1997 पौष 1, 1919
No. 502] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 22, 1997/PAUSA 1, 1919

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1997

सा. का. नि. 719 (अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 318 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) विनियम, 1969 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) संशोधन विनियम, 1997 है।

(2) यह 1 जनवरी, 1996 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) विनियम, 1969 के विनियम 4 में,—

(क) "नौ हजार रुपये प्रति मास" शब्दों के स्थान पर "तीस हजार रुपये प्रति मास" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) "आठ हजार रुपये प्रति मास" शब्दों के स्थान पर "छब्बीस हजार रुपये प्रति मास" शब्द रखे जाएंगे।

[सं. 39019/4/96-स्था.(ख)]

श्रीमती भवानी त्यागराजन, निदेशक

टिप्पण : मूल विनियम, भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) में अधिसूचना सं. सा. का. नि. 1402, तारीख 11 अक्तूबर, 1969, द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् इसमें निम्नलिखित संशोधन किए गए :—

क्र.सं.	सा. का. नि.	प्रकाशन की तारीख
1	2	3
1.	1230	6-10-79
2.	1418	1-12-79
3.	357	8-3-80

1	2	3
4	977	27-9-80
5.	832	12-8-81
6.	388	21-5-83
7.	640	3-9-83
8.	584	30-5-84
9	692	6-9-86
10.	344	30-4-88
11.	583	30-7-89
12.	379	4-6-90
13.	607(अ)	4-7-92
14.	496(अ)	30-6-93
15.	373	2-7-93
16.	150(अ)	26-3-96

स्पष्टीकारक ज्ञापन

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 318 के खंड (क) के अधीन अन्य विनियमों के साथ-साथ संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवाओं की शर्तों का विनियमन करने के लिए विनियम बनाने के लिए सशक्त हैं। राष्ट्रपति ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) विनियम, 1969 बनाए हैं। इन विनियमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन किया जाता है और इनमें आवश्यक संशोधन किए जाते हैं।

2. चूंकि भारत सरकार, पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान का 1 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षण करने की अधिसूचना जारी कर चुकी है। तथापि, यह विनिश्चय उन संवैधानिक प्राधिकरणों को जिनके लिए पृथक् उपबंध बनाए जाने अपेक्षित हैं, लागू नहीं होता। अतः केन्द्रीय सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को भी वही सामान्य प्रतिस्थापन वेतनमान दिया जाए जो पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर उनके समतुल्य श्रेणी के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अनुज्ञात है। यह भी विनिश्चय किया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतनमान का पुनरीक्षण 1 जनवरी, 1996 से ही प्रभावी किया जाए जैसा कि केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के संबंध में किया गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि इस संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से किसी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Personnel and Training)
NOTIFICATON

New Delhi, the 3rd December, 1997

G.S.R. 719(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of article 318 of the Constitution, the President hereby makes the following regulations further to amend the Union Public Service Commission (Members) Regulations,1969, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Union Public Sevice Commission (Members) Amendment Regulations, 1997

   (2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1996.

2. In regulation 4 of the Union Public Service Commission (Members) Regulations, 1969.—

   (a) For the words "nine thousand rupees per mensem", the words "thirty thousand rupees per mensem" shall be substituted;

   (b) For the words "eight thousand rupees per mensem", the words "twenty-six thousand rupees per mensem" shall be substituted.

[No.39019/4/96-Estt(B)]

SMT. BHAVANI THYAGARAJAN, Director.

Note.—The principal regulations, were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide Notification GSR Number 1402 dated the 11th October, 1969 and subsequently amended by :—

S.No	GSR No.	Date of Publication
1	2	3
1.	1230	6-10-79
2.	1418	1-12-79
3.	357	8-3-80
4.	977	27-9-80
5.	832	12-8-81
6.	388	21-5-83
7.	640	3-9-83
8.	584	30-5-84
9.	692	6-9-86
10.	344	30-4-88
11.	583	30-7-89
12.	379	4-6-90
13.	667(E)	4-7-92
14.	496(E)	30-6-93
15.	373	2-7-93
16.	150(E)	26-3-96

EXPLANATORY MEMORANDUM

Under clause (a) of article 318 of the Constitution, the President is empowered to make regulations, inter alia, to regulate the conditions of service of the members of the Union Public Service Commission. In exercise of this power, the President has framed Union Public Service Commission (Members) Regulations, 1969. These regulations are reviewed from time to time and necessary amendments are made.

2. Based on the recommendations of the Fifth Central Pay Commission, the Government of India have since issued a notification revising the scales of pay of the Central Government Servants with effect from 1st January, 1996. The above decision is, however, not applicable to constitutional authorities for whom separate provisions are required to be made, The Central Government has, therefore, taken a decision that the Chairman and other Members of the Union Public Service Commission may also be allowed the normal replacement scales of pay recommended by the Fifth Central Pay Commission for Central Government officers of equivalent grade. It has also been decided that the revision of pay of Chairman and other members of the Union Public Service Commission may also be given effect from the 1st January, 1996 as has been done in the respect of Central Government officers. It is certified that no one's interest would be adversely affected by giving retrospective effect to this amendment.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997